न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–488/17 ((RCMS No.2017/00520) 18 आयुध अधिनियम 1959)

रामेश्वर प्रसाद पुत्र परभाती लाल जाति जोगी निवासी ग्राम मूडिया थाना बालघाट जिला करौली

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थितिः–

1. श्री बच्चू सिंह पीपला वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 30.08.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का नाम क्रम सं0 51 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट चुनाव के समय काफी बीमार था इसलिये वह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने उक्त शस्त्र को जमा नही करा पाया था। इसी कारण से प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने में अहम कानूनी गलती की है। क्योंकि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया गया। अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र पर शस्त्र 12 बोर इकनाली है जो अपीलान्ट को भूतपूर्व सैनिक के आधार पर जारी किया गया है जो समय समय पर रिन्यू होता गया है। बीच में अपीलान्ट की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह अपनी बन्दूक चुनाव के समय जमा नही करा पाया था। उनका तर्क है कि पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 29.11.16 के अनुसार अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को बहाल करने की अनुशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जॉच के एकतरफा में निर्णय पारित किया है, जो उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्धान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश कमांक न्याय/पंआचु. 15/9356–9395 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से जिला कलक्टर को आर्म्स अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने की सूचना दी थी। सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर ही पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र कम सं0 51 पर दर्ज है।

अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध दिनांक 01.11.2017 को अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रकरण में लिबरल ब्यू लेते हुऐ अपील पेश करने में हुऐ देरी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कण्डोन करते हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट स्वंय को चुनाव 2015 के दौरान बीमार रहना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1657 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 51 कोतवाली हिण्डौन शस्त्र अनुज्ञापत्र 4828/92 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official